कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा–2

कार्यालय आदेश :–

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा–2 के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क (एस०जी०) योजना अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० भरौल गेरोथा पुल से खरका पीपा कमतौल गुसाईंटोला तक पथ निर्माण कार्य हेतु संवेदक श्री रंजीत कुमार सिंह, ग्राम + पोस्ट–रतनपुर, थाना–कमतौल जिला–दरभंगा (पिन नं०–847307) (Regd No-3220245 Class-III) के साथ एकरारनामा संख्या–75 SBD/2015-16 दिनांक–24.11.2015 को सम्पादित की गयी थी। एकरारनामा की राशि रू०–141.33864 लाख मात्र था। संवेदक द्वारा मूल कार्य दिनांक–20.02.2021 को पूर्ण करने के उपरान्त पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है। पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1602 दिनांक–09.09.2023, पत्रांक–1707 दिनांक–08.10.2023 एवं पत्रांक–454 दिनांक–14.03.2024 तथा संबंधित सहायक अभियंता का पत्रांक–24 दिनांक–20.02.2024 एवं पत्रांक–35 दिनांक–11.03.2024 द्वारा साथ ही मौखिक रूप से भी बार–बार निदेशित किया जाता रहा है। लेकिन संवेदक द्वारा अद्यतन पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया। ज्ञातव्य हो कि माह दिसम्बर 2023 मे उक्त पथ का अनुरक्षण की जाँच BRRMS App से किया गया जिसमें (रेटिंग प्रदान की गई है, जिसे आजतक Regrade नहीं किया गया है। और इस कार्यालय का पत्रांक–454 दिनांक–14.03.2024 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था कि आप तीन दिनों के अन्दर पंचवर्षीय कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ क्यों नहीं कर दिया जाय। इसका भी जवाब आज तक नहीं दिया गया है।

वर्तमान में भी संवेदक द्वारा त्रुटि निराकरण करने हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उच्चाधिकारी/ सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के निरीक्षण के दौरान स्थल पर Technical Person एवं KEY EQUIPMENT भी नहीं पाये गये। इस प्रकार संवेदक द्वारा मनमाने ढंग से अनुरक्षण कार्य बंद रखने एवं विभागीय उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने के लिए संवेदक दोषी है, साथ ही त्रुटि निराकरण करने में अक्षम हैं।

वर्णित स्थिति में क्षेत्रीय अभियंताओ से विमर्शोपरान्त एकरारनामा के प्रावधानों का उलंघन करने के लिए SBD के की कंडिका–03 अन्तर्गत उप कंडिका–(iv) के तहत संवेदक श्री रंजीत कुमार सिंह, ग्राम + पोस्ट–रतनपुर, थाना–कमतौल जिला–दरभंगा (पिन नं0–847307) (Regd No-3220245 Class-III) के साथ सम्पादित एकरारनामा संख्या–75 SBD/2015-16 दिनांक– 24.11.2015 को आज दिनांक–16.03.2024 को विखंडित किया जाता है। SBD/ एकरारनमा एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 तथा अन्य कंडिकाओं के तहत संवेदक के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी।

18/3/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, दरभंगा–2

18.3.24

ज्ञापांक 505 / दिनांक 18/03/24

प्रतिलिपिः– संवेदक श्री रंजीत कुमार सिंह, ग्राम + पोस्ट–रतनपुर, थाना–कमतौल जिला–दरभंगा (पिन नं0–847307) (Regd No-3220245 Class-III) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, दरभंगा–2

18.3.24

ज्ञापांक 505 / दिनांक 18/03/24 /

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा/ मुख्य अभियंता–6, ग्रामीण कार्य विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

18/3/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, दरभंगा–2

ज्ञापांक 505 / दिनांक 18/3/24 /

प्रतिलिपिः–सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

18/3/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, दरभंगा–2

ज्ञापांक 505 / दिनांक 18/3/24 /

प्रतिलिपिः–कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, जाले को सूचनार्थ एवं एक सप्ताह के अन्दर अंतिम मापी करना लेना सुनिश्चित करेंगें।

18/3/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, दरभंगा–2

ज्ञापांक 505 / दिनांक 18/3/24 /

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/ रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2 को आदेश दिया जाता है कि इनके जमानत/ अमानत की राशि को जब्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

18/3/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, दरभंगा–2

18.3.24

o/c